GCMS No. : 2023/44

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारीः– डॉ हरीतिमा, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 16/2023

जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) श्री कश्मीरी लाल अरोड़ा पुत्र श्री कालूराम अरोड़ा।
फर्म – मै. कालूराम कश्मीरी लाल, शॉप नं. 101, कच्ची तह. बाजारी, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)/52 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक : 20 जुलाई, 2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री जीत सिंह यादव कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, (खाद्य सुरक्षा), राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 20.04.2022 द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2022 को समय दोपहर 1 बजे मैसर्स कालूराम कश्मीरी लाल, शॉप नं. 101, कच्ची तह. बाजारी, श्रीकरणपुर पर पहुंचे। मौके पर मौजूद विक्रेता श्री कश्मीरी लाल अरोड़ा पुत्र श्री कालूराम अरोड़ा ने स्वंय को दुकान को मालिक होना बताया तथा दुकान के अंदर रखे 500–500 मिली की 30 पेक बोतलें **सरसों का तेल (कलश ब्राण्ड)** आमजन को विकय हेतु बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के बेचान हेतु पदार्थ **सरसों का तेल(कलश ब्राण्ड)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **सरसों का तेल(कलश**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

ब्राण्ड) की 500 मिली की 4 पोली पैक बोतलों को विक्रेता से खरीद किया एवं मौके पर 360 रूपए का भुगतान किया एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों का तेल(कलश ब्राण्ड)** को चार बराबर भागों में बांटकर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डीओ श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1410** लगाया और प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पशचात खरीद शुदा **सरसों का तेल(कलश ब्राण्ड)** के चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1410** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री कश्मीरी लाल व गवाहान ने सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यलय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष तीन सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं सी.एम.एच.ओ., श्रीगंगानगर को स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 349 / एक्ट / 2022 / 349 दिनांक 15.03.2022 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1410** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II) / 52 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ **सरसों का तेल(कलश ब्राण्ड) अमानक (मिसब्राण्डेड)** फूड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी वार्ड नंबर 19 श्री करणपुर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स कालूराम कश्मीरीलाल दुकान नंबर 101 कच्ची तह बाजारी श्री करणपुर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23 / 1066 दिनांक 04.07.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में सरसो तेल की जांच की गई तो सरसों तेल Misbranded Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त सरसों तेल में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण कया जाए।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री कश्मीरी लाल अरोड़ा पुत्र श्री कालूराम अरोड़ा फर्म मै कालूराम कश्मीरी लाल शॉप नं 101, कच्ची तह बाजारी श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर से लिया गया **सरसों का तेल (कलश ब्राण्ड)** का सैम्पल **के–1410** जांच रिपोर्ट कमांक एलएस / 349 / एक्ट / 2022 / 349 दिनांक 15.03.2022 द्वारा **मिसब्राण्डेड (अमानक)** पाया गया है। अत अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) / 52 के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "**Mustard Oil**" bearing Code No. and Sr. No. K-1410 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Misbranded Food** Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of FSS Act 2006.

फलस्वरूप, श्री कश्मीरी लाल अरोड़ा पुत्र श्री कालूराम अरोड़ा फर्म मै कालूराम कश्मीरी लाल, शॉप नं 101, कच्ची तह बाजारी, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II) / 52 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलत अभियुक्त श्री कश्मीरी लाल अरोड़ा को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एव नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 30,000 /– (अक्षर रूपये तीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।